EoI for Empanelment of Industrial Collaborators' (IC) participation in Jal Jeevan Mission (JJM) pilot installations in states/UTs

CSIR-CSIO invites Expression of Interest for empanelment of Industry Collaborators' (IC) participation in Jal Jeevan Mission (JJM) pilot installations in states/UTs.

Preamble: Industrial Collaborators (IC) shall work under the guidance and supervision of CSIR for installation, commissioning, testing, calibration and validation of water quantity and quality sensors, local nodes and back integration to IoT setup (existing) or setting-up of cloud-based IoT monitoring and analytics framework. The devices and technology developed by CSIR and off-the-shelf components for the above purpose shall be deployed Pan-India in rural locations. CSIR, thorough its team, shall provide necessary technical knowledge and training for the said purpose.

Objective: Empanelment of Industrial Collaborators (IC) for IoT Pilot deployment for water quality and quantity monitoring at PAN-India level with CSIR Knowledge Partnership under Jal Jeevan Mission of Government of India

Overview of the CSIR-Jal Jeevan Mission Program- Har Ghar Ko Nal Se Saf Jal- Gaon Ka Pani Gaon Mein: Currently, the Team-CSIR aims to install several IoT Pilots in different states that satisfy all technical compliance of Jal Jeevan Mission (JJM) recommendations of the Ministry of Jal Shakti. CSIR-JJM intends to deploy affordable IoT-enabled Smart Sensor-systems and Networks to measure and monitor Water Delivery in Rural areas of India.

The program proposes to use options of GSM and RF-based systems for networking with the cloud server and data analytics and application dashboard, facilitating the bi-directional flow of data for measuring performance parameters and managing the water supply systems. It is also proposed to use the learning of ongoing IoT Pilots and Smart City examples while implementing new potential pilots.

CSIR-JJM proposes using IoT-enabled sensors to monitor water level discharge, water quantity, and quality and automate motor operation and pressure management in the water Distribution system. Different site-specific design options measure various key performance indicators (KPIs). Afterwards, the sensor network data is sent using appropriate IT technology components. The IT interventions will provide Dashboards with KPIs, GIS-enabled views and reports for remote monitoring. Analytics will be standardised for PAN India implementation. An automated alerting mechanism will be made available for various quality conformance issues. The data from the device will be sent directly or through Gateway to Cloud (State and Center) and made available locally (GPs/VPs).

The program aims to develop standardisation for interoperability between various layers for seamless data transactions. For network security, standard transport layer security (TLS) or Datagram Transport Layer Security (DTLS) is proposed to be used. The program will use common data standards to allow future PAN-India upscaling. The program aims to embed intelligent algorithms to take care of calibration, tampering etc., in autonomous mode.

Besides, the program aims to undertake long-term commitment for post-pilot installation Operation and Maintenace (O&M). The program envisages handholding via training department staff at appropriate levels (GP/VPs/Block) and provides capacity building so that

the ownership is completely transferred and the local team at GPs/VPs is ready to take care of IoT assets.

Few **Salient Features** of the CSIR-Jal Jeevan Mission Program:

- Indigenous **IoT architecture**
- Data Integration and deployment of **ETL Layer**
- Standards and **protocols** for hardware and IoT established (JSON Format having Device ID, Device type, Time Stamp and Parameters, MQTT, HTTPs, AMQP, CoAP, TCP/IP, SSL/TLS)
- **Calibration:** On-site/auto (installation/periodic/predictive)
- Indigenous RISK-PiNET package for **Pipe Condition Assessment, Contamination Risk Assessment, Replacement planning** of Water Distribution network with **Cost estimation**
- **Vulnerability** assessment to fail - High, Medium, Low
- Performance index of the **network** and suggestions to improve service delivery
- Estimation of **Contamination** risk in each pipe - High, Medium, Low

Evaluation Methodology

I. Essential qualifying criteria for IC:

- IC as a registered organisation shall have prior work experience of minimum 3 years in the relevant areas such as water quality and quantity sensors, IoT, Cloud and Data Analytics system deployment and integration as detailed in the preamble above. (attach documentary proof).
- Companies/MSMEs/Start-ups shall be registered with the concerned statutory authority of Govt. of India. (attach documentary proof).
- IC shall have a minimum annual turnover of Rs. 50 lakh during each of the last three financial years. (attach CA audited financial statements)
- IC shall have a minimum of 10 technically qualified staff on the roster during the last six months to work on a Pan India basis on multiple sites simultaneously in rural locations to meet the prescribed project timelines.
- IC shall have experience implementing one (1) completed similar project with a minimum contract amount of INR 10 lakh during the last three (3) years.
- IC shall be ready to sign Memorandum Of Understanding (MOU) / Non-Disclosure Agreement (NDA) / Transfer of Technology (TOT) documents, as applicable, to be able to undertake IoT Pilot implementation, which will include know-how transfer on various underlying key technology components, such as sensors, IoT, Cloud & Data Analytics and Dashboard visualisation.
- IC shall train the ground staff on the complete system's operation and maintenance, including all system components.
- IC shall offer an annual maintenance contract for five years post-installation and commissioning and shall provide periodic calibration and maintenance activities.
- IC shall not have been barred by the Central Government, any State Government, a statutory authority or a public sector undertaking. (attach Self-declaration/ undertaking certificate as documentary proof).

II. Selection criteria of IC:

A minimum of 3 years of specific similar experience as a registered organisation. – 20 marks

- 3 years experience – 10 marks
- 3 to 5 years experience – 15 marks
- Over 5 years experience – 20 marks

Annual turnover during each of the last three years from India. marks- 20

- Annual turnover 50 lakh to 75 lakh – 10 marks
- Annual turnover 75 lakh to 100 lakh – 15 marks
- Annual turnover over 100 lakh – 20 marks

Specific similar experiences of the IC relevant to the scope of this document. – 20 marks

- 1 no. completed a similar project worth INR 10 lakh during last 3 years – 10 Marks
- 2 completed similar projects worth INR 10 lakh during last 3 years – 15 marks
- More than 2 completed similar projects worth INR 10 lakh during last 3 years – 20 marks

IC shall attach payment confirmation from the client.

Staff on the roster – 20 marks

- Ten technically qualified staff on the roster during the last six months - 10 marks
- More than ten technically qualified staff on a roster during the last six months – 20 marks

Agreement for Memorandum of Understanding (MoU) / Non-Disclosure Agreement (NDA) / Transfer of Technology (ToT) – 20 marks

- Memorandum Of Understanding (MOU) / Non-Disclosure Agreement (NDA) – 10 marks
- Transfer of Technology (TOT) – 20 marks

III. Empanelment of IC:

Minimum marks for IC selection shall be 70 marks for Companies, 50 marks for MSMEs, 40 marks for Start-Ups. ICs shall be empanelled for a period of 2 years.

IV. Award of work:

ICs, after meeting the marks criteria, will be eligible to participate in the tender process. Technical and Financial bids will be invited for the selected location(s) or combined for multiple states/locations within the country. The selection for award of work shall be on the lowest quote basis based on specifications and requirements through a short-term tender. Submitting bids, EMD, Performance Bank Gurantee (PBG) and Penalty clause acceptance by ICs shall be required in accordance with the extant CSIR rules and regulations.

V. Agreement for Memorandum of Understanding (MoU) / Non-Disclosure Agreement (NDA) / Transfer of Technology (TOT):

ICs shall be required to sign MoU/NDA/ToT agreement as per the CSIR rules and regulations. ToT shall be initiated through a separate open EoI as per CSIR rules and regulations. All relevant details, including fees/amount and other terms and conditions of ToT will be governed by the relevant ToT agreement of IC with CSIR.

Interested parties may provide the following information/documents in response to this EOI:

1. Certificate of Incorporation
2. PAN / TAN Number
3. Partnership Deed/ Memorandum and Articles of Association of the Firm
4. GST Registration Certificate
5. ITR of preceding three years
6. Product Profile/Brochure
7. Audited balance sheet of three immediate past preceding years', including profit and loss account and the Annual Report.
8. Reference list of similar work experience in the relevant work areas along with the payment confirmation from the client.
9. Details of the fabrication facilities available including area and tooling list along with a short video or photographs.
10. List of quality certifications / accreditations that are currently valid, with copies of such certificates.
11. A notarized Affidavit confirming that the party has not been banned or blacklisted at any time for supplies to government agencies.

Further, inclusion/exclusion and relaxation, if any, is subject to discretion of concerned committee and approval of competent authority.

Interested parties are requested to apply with all the required documents through email to eoi.csio@csio.res.in latest by September 05, 2022.

<u>औद्योगिक सहयोगियों के पैनल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण</u>

<u>सीएसआईआर-सीएसआईओ द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) पायलट प्रतिष्ठानों में उद्योग सहयोगियों (आईसी) की भागीदारी के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण ।</u>

प्रस्तावना: औद्योगिक सहयोगी (आईसी) सीएसआईआर के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत पानी की मात्रा और गुणवत्ता सेंसरों के प्रचालन, परीक्षण, अंशांकन और सत्यापन के लिए तथा स्थानीय नोड्स और आईओटी सेटअप (मौजूदा) के लिए बैक इंटीग्रेशन या क्लाउड-आधारित आईओटी निगरानी की स्थापना और अनॉलिटिक्स फ्रेमवर्क के लिए काम करेंगे। उपरोक्त उद्देश्य के लिए सीएसआईआर और ऑफ-द-शेल्फ घटकों द्वारा विकसित उपकरणों और प्रौद्योगिकी को पूरे भारत में ग्रामीण स्थानों में तैनात किया जाएगा। सीएसआईआर, अपनी टीम के माध्यम से उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

उद्देश्य: भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत सीएसआईआर नॉलेज पार्टनरशिप के साथ पैन-इंडिया स्तर पर पानी की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी के लिए आईओटी पायलट तैनाती के लिए औद्योगिक सहयोगियों (आईसी) का पैनल तैयार करना।

सीएसआईआर-जल जीवन मिशन कार्यक्रम की रूपरेखा - हर घर को नल से साफ जल- गांव का पानी गांव में: वर्तमान में, टीम-सीएसआईआर का लक्ष्य विभिन्न राज्यों में कई आईओटी पायलट स्थापित करना है जो जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन (जेजेएम) की सिफारिशों के अनुरूप तकनीकी अनुपालन पूर्ण करें। सीएसआईआर-जेजेएम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण को मापने और निगरानी करने के लिए किफायती आईओटी-सक्षम स्मार्ट सेंसर-सिस्टम और नेटवर्क तैनात करने को अभिप्रेत है।
कार्यक्रम में क्लाउड सर्वर और डेटा एनालिटिक्स और एप्लिकेशन डैशबोर्ड के साथ नेटवर्किंग के लिए जीएसएम और आरएफ-आधारित सिस्टम के विकल्पों का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिससे प्रदर्शन मापदंडों को मापने और जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन के लिए डेटा के द्वि-दिशात्मक प्रवाह की सुविधा मिल सकेगी। नए संभावित पायलटों को लागू करते समय चल रहे आईओटी पायलटों की सूचना और स्मार्ट सिटी उदाहरणों का उपयोग करने का भी प्रस्ताव है। सीएसआईआर-जेजेएम ने जल स्तर के निर्वहन, पानी की मात्रा और गुणवत्ता की निगरानी के लिए आईओटी-सक्षम सेंसर का उपयोग करने और जल वितरण प्रणाली में मोटर संचालन और दबाव प्रबंधन को स्वचालित करने का प्रस्ताव दिया है। विभिन्न साइट-विशिष्ट डिज़ाइन विकल्प विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) को मापते हैं। बाद में, उपयुक्त आईटी प्रौद्योगिकी घटकों का उपयोग करके सेंसर नेटवर्क डेटा भेजा जाता है। आईटी अंत:क्षेप से दूरस्थ निगरानी के लिए ऐसे डैशबोर्ड प्राप्त होंगे जो केपीआई के साथ, जीआईएस-सक्षम दृश्य और रिपोर्ट प्रदान

करेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए विश्लेषिकी को मानकीकृत किया जाएगा। विभिन्न गुणवत्ता अनुरूपता मुद्दों के लिए एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली उपलब्ध करवाई जाएगी। डिवाइस से डेटा सीधे या गेटवे टू क्लाउड (राज्य और केंद्र) के माध्यम से भेजा जाएगा और स्थानीय रूप से (जीपी/वीपी) उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य निर्बाध डेटा लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों पर अंतरसंचालनीयता के लिए मानकीकरण विकसित करना है। नेटवर्क सुरक्षा के लिए, स्टैंडर्ड ट्रांस्पोर्ट लेयर सिक्योरिटी (टीएलसी) या डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी (DTLS) का उपयोग करने का प्रस्ताव है। भविष्य में पैन-इंडिया अपस्केलिंग की अनुमति देने के लिए कार्यक्रम सामान्य डेटा मानकों का उपयोग करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वायत्त मोड में अंशांकन, छेड़छाड़ आदि का ध्यान रखने के लिए सुविज्ञ एल्गोरिदम को एम्बेड करना है।

इसके अलावा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोस्ट-पायलट इंस्टॉलेशन ऑपरेशन और मेंटेनेंस (ओ एंड एम) के लिए दीर्घावधि प्रतिबद्धता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम उचित स्तर (जीपी/वीपी/ब्लॉक) पर विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण देकर हैंडहोल्डिंग की परिकल्पना करता है और जिससे क्षमता निर्माण हो ताकि स्वामित्व पूरी तरह से स्थानांतरित किया जा सके और जीपी/वीपी में स्थानीय टीम आईओटी परिसंपत्तियों की देखभाल के लिए तैयार हो जाए।

सीएसआईआर-जल जीवन मिशन कार्यक्रम की कुछ मुख्य विशेषताएं:

- स्वदेशी आईओटी संरचना
- डेटा एकीकरण और **ईटीएल** लेयर का परिनियोजन
- हार्डवेयर और आईओटी के लिए मानक और प्रोटोकॉल स्थापित (जेएसओएन फॉर्मेट जिसमें डिवाइस आईडी, डिवाइस का प्रकार, टाइम स्टैम्प और पैरामीटर्स, एमक्यूटीटी, एचटीटीपी, एएमक्यूपी, सीओएपी, टीसीपी/आईपी, एसएसएल/टीएलएस)
- **अंशांकन**: ऑन-साइट/ऑटो (स्थापना/आवधिक/प्रीडिक्टिव)
- जल वितरण नेटवर्क के लिए **पाइप की स्थिति के आकलन, संदूषण जोखिम आकलन,**
- **प्रतिस्थापना योजना के लिए** लागत अनुमान सहित स्वदेशी रिस्क-पाइनेट पैकेज,
- विफल होने का **भेद्यता** मूल्यांकन - उच्च, मध्यम, निम्न
- नेटवर्क का प्रदर्शन सूचकांक और सेवा प्रतिपादन में सुधार के लिए सुझाव
- प्रत्येक पाइप में संदूषण जोखिम का अनुमान - उच्च, मध्यम, निम्न

<u>मूल्यांकन पद्धति</u>

I. **<u>आईसी के लिए आवश्यक योग्यता मानदंड</u>**:

- आईसी को एक पंजीकृत संगठन के रूप में संबंधित क्षेत्रों जैसे पानी की गुणवत्ता और मात्रा सेंसर, आईओटी, क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स सिस्टम परिनियोजन और एकीकरण में न्यूनतम 3 वर्षों का पूर्व कार्य अनुभव होगा, जैसा कि ऊपर प्रस्तावना में वर्णित है। (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)।
- कंपनियॉ/एमएसएमई/स्टार्ट-अप्स भारत सरकार के संबंधित सांविधिक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होंगे। (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)।
- आईसी का न्यूनतम वार्षिक कारोबार गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 50 लाख रुपए होगा। (सीए द्वारा ऑडिट किया गया वित्तीय विवरण संलग्न करें)
- आईसी के पास पिछले छह महीनों के दौरान रोस्टर पर न्यूनतम 10 तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारी होंगे जो परियोजना को निर्धारित समय सीमा को पूरा करने के लिए ग्रामीण स्थानों में एक साथ कई साइटों पर अखिल भारतीय आधार पर काम करेंगे।
- आईसी के पास गत तीन (3) वर्षों के दौरान कम से कम 10 लाख रुपये की अनुबंध राशि के साथ एक (1) पूर्ण समान परियोजना को लागू करने का अनुभव होगा।
- आईसी आईओटी पायलट कार्यान्वयन करने में सक्षम होगा और इसके लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) / गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) / प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) दस्तावेजों, जो लागू हो, पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होगा, जिसमें विभिन्न अंतर्निहित प्रमुख प्रौद्योगिकी घटक, जैसे सेंसर, आईओटी, क्लाउड और डेटा एनालिटिक्स और डैशबोर्ड विज़ुअलाइज़ेशन की तकनीकी जानकारी का हस्तांतरण शामिल होगा ।
- आईसी ग्राउंड स्टाफ को सिस्टम के सभी घटकों सहित पूरे सिस्टम के संचालन और रखरखाव पर प्रशिक्षित करेगा।
  - आईसी पांच साल के बाद स्थापना और कमीशन के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध की पेशकश करेगा और आवधिक अंशांकन और रखरखाव गतिविधियों को प्रदान करेगा।
  - आईसी को केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी वैधानिक प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। (दस्तावेजी प्रमाण के रूप में स्व-घोषणा / वचनबंध संलग्न करें)।

II. <u>आईसी के चयन मानदंड:</u>

एक पंजीकृत संगठन के रूप में कम से कम 3 वर्ष का विशिष्ट समान अनुभव - 20 अंक

- 3 साल का अनुभव - 10 अंक
- 3 से 5 साल का अनुभव - 15 अंक
- 5 साल से अधिक का अनुभव - 20 अंक

भारत से गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान वार्षिक कारोबार। अंक- 20

- वार्षिक कारोबार 50 लाख से 75 लाख - 10 अंक
- वार्षिक कारोबार 75 लाख से 100 लाख - 15 अंक
- 100 लाख से अधिक का वार्षिक कारोबार - 20 अंक

इस समझैते के कार्यक्षेत्र के अनुरूप आईसी के विशिष्ट समान अनुभव। - 20 अंक

- गत 3 वर्षों के दौरान 10 लाख रुपये की एक समान परियोजना को पूरा किया - 10 अंक
- गत 3 वर्षों के दौरान 10 लाख रुपये मूल्य की 2 समान परियोजनाओं को पूरा किया - 15 अंक
- गत 3 वर्षों के दौरान 10 लाख रुपये मूल्य की 2 से अधिक पूर्ण समान परियोजनाएं - 20 अंक

आईसी ग्राहक से भुगतान की पुष्टि संलग्न करेगा।

रोस्टर पर स्टाफ - 20 अंक

- पिछले छह महीनों के दौरान रोस्टर पर तकनीकी रूप से योग्य दस कर्मचारी - 10 अंक
- पिछले छह महीनों के दौरान एक रोस्टर में तकनीकी रूप से योग्य दस से अधिक कर्मचारी - 20 अंक

समझौता ज्ञापन (एमओयू) / गैर-प्रकटीकरण समझौता (एनडीए) / प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के लिए समझौता - 20 अंक

- समझौता ज्ञापन (एमओयू) / गैर-प्रकटीकरण समझौता (एनडीए) - 10 अंक
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) - 20 अंक

III. आईसी का पैनल:

आईसी चयन के लिए न्यूनतम अंक कंपनियों के लिए 70 अंक, एमएसएमई के लिए 50 अंक, स्टार्ट-अप के लिए 40 अंक होंगे। आईसी को 2 साल की अवधि के लिए पैनल में रखा जाएगा।

IV कार्य का सौंपा जाना :

आईसी, अंक मानदंड को पूरा करने के बाद, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। चयनित स्थान (स्थानों) के लिए तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी या देश के भीतर कई राज्यों/स्थानों के लिए संयुक्त रूप से आमंत्रित की जाएंगी। कार्य प्रदान करने के लिए चयन अल्पावधि निविदा के माध्यम से विनिर्देशों और आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम बोली के आधार पर होगा। मौजूदा सीएसआईआर नियमों और विनियमों के अनुसार बोलियां जमा करना, ईएमडी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) और आईसी द्वारा पेनल्टी क्लॉज स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

V. समझौता ज्ञापन (एमओयू) / गैर-प्रकटीकरण समझौता (एनडीए) / प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के लिए समझौता:

आईसी को सीएसआईआर नियमों और विनियमों के अनुसार समझौता ज्ञापन/एनडीए/टीओटी समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। सीएसआईआर नियमों और विनियमों के अनुसार एक अलग खुले ईओआई के माध्यम से टीओटी किया जाएगा। शुल्क/राशि और टीओटी के अन्य नियमों और शर्तों सहित सभी आवश्यक विवरण सीएसआईआर के साथ आईसी के संगत टीओटी समझौते द्वारा शासित होंगे।

इच्छुक पार्टियों को इस ईओआई के जवाब में निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने होंगे:

1. निगमन का प्रमाण पत्र
2. पैन/टैन नंबर प्रमाणपत्र
3. पार्टनरशिप डीड / मेमोरेंडम और फर्म के एसोसिएशन के लेख
4. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
5. पूर्ववर्ती तीन वर्षों का आईटीआर
6. उत्पाद प्रोफ़ाइल / विवरणिका
7. लाभ और हानि खाते और वार्षिक रिपोर्ट सहित पिछले तीन तत्काल पिछले वर्षों की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट।
8. क्लाइंट से भुगतान की पुष्टि के साथ संबंधित कार्य क्षेत्रों में समान कार्य अनुभव की संदर्भ सूची।
9. क्षेत्र और टूलींग सूची सहित उपलब्ध निर्माण सुविधाओं का विवरण एक लघु वीडियो या तस्वीरों के साथ।
10. ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ गुणवत्ता प्रमाणपत्रों/मान्यताओं की सूची जो वर्तमान में मान्य हैं।
11. एक नोटरीकृत हलफनामा जो यह पुष्टि करता हो कि पार्टी को सरकारी एजेंसियों को आपूर्ति करने के लिए किसी भी समय प्रतिबंधित या काली सूची में नहीं डाला गया है।

इसके अलावा, शामिल/बहिष्करण और छूट, यदि कोई हो, संबंधित समिति के विवेक और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है।

इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईमेल के माध्यम से eoi.csio@csio.res.in पर 05.09.2022 तक आवेदन करें।

Note: In case of any ambiguity/lack of clarity, the English version will be considered as reference.

Signature Not Verified

Digitally signed by AWDHESH KUMAR SHUKLA
Date: 2022.08.21 13:48:04 IST
Location: eProcurement System for Central PSUs